रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1946] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2014/आश्विन 1, 1936
No. 1946] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2014/ASVINA 1, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2014

का.आ. 2468(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देती है कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित कार्यों का निष्पादन, प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अध्यधीन किया जाएगा कि संबंधित राज्य सरकार ऐसे कार्यों को उक्त अधिसूचना के तहत वर्तमान में प्रवर्तन नियमावली के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध होगी तथा इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

अनुसूची

"9	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 20, रारा सं. 20ए, रारा सं. 21 (किमी 73.200 से किमी 190.000 तक को छोड़कर), राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 22, [किमी 337.140 से 368.000 (वैंगटू-पोवारी खंड) तक सहित किन्तु सीमा सड़क विकास बोर्ड को सौंपे गए खंडों और किमी 62.200 से किमी 67.200 तक (हरियाणा/हिमाचल सीमा-दिल्ली) को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 21ए, रारा सं. 70, रारा सं. 72, रारा सं. 72बी, रारा सं. 73ए, रारा सं. 88, **नई रारा सं. 3, (मनाली-ग्रामफू-केयलांग खंड), नई रारा सं.154ए,** नई रारा सं 305, **नई रारा सं. 503 (मतोर-धर्मशाला-मैक्लायडगंज खंड),**	हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार"

	नई रारा सं. 503 विस्तार और नई रारा सं. 505 के उतने भाग जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है।	

[फा. सं. एनएच-14013/8/2014-पीएंडएम (पार्ट-2)]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड एम)

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्या का.आ.1096 (अ) तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी उसे पिछली बार का.आ. 2066(अ), तारीख 14 अगस्त, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2014

S.O. 2468(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

TABLE

(1)	(2)	(3)
“9	So much of National Highways No. 20, No. 20A, No. 21 (excluding from km. 73.200 to km. 190.000), No.22 [including from km. 337.140 to km. 368.000 (Wangtu-Powari section) but excluding the stretches entrusted to Border Road Development Board and from km. 62.200 to km. 67.200 (Haryana/Himachal Border-Delhi)], No. 21A, No.70, No.72, No. 72B, No.73A, No.88**, new NH No. 3 (Manali-Gramphoo-Kyelong section), new NH No. 154A,** new NH No. 305**, new No. 503 (Mataur-Dharamshala-Macleodganj section), new NH No. 503 Extn and new NH No. 505** as are situated within the State of Himachal Pradesh.	State Government of Himachal Pradesh.”

[F. No. NH-14013/8/2014-P&M (Pt-2)]

MAYA PRAKASH, Director (P&M)

Note: The principal notification was published *vide* number S.O.1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 2066(E), dated the 14th August, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.